विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

वर्ष 2017-2018
के वार्षिक लेखे

विषय-सूची

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् 31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे	1
31.03.2018 को बैलेंस शीट की स्थिति	3
31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखे	4
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	15

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
(क) नकद रोकड़	–	–	(क) संस्थापना व्यय		
			वेतन, पी एफ आदि	1,52,39,730	1,38,94,159
(ख) बैंक में जमाराशि			बोनस	1,58,884	–
i) भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता	2,26,621	17,50,032	उपदान व्यय	2,77,440	1,13,836
ii) भारतीय स्टेट बैंक में जमा खाता	2,70,00,000	–	पेंशन फंड में परिषद का अंशदान	3,02,500	3,33,150
iii) भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता	1,27,66,150	2,07,50,157	स्टाफ कल्याण व्यय	14,510	21,377
			प्रशासनिक निरीक्षण प्रभार - आरपीएफसी	39,821	16,556
(ग) अन्य			चिकित्सा प्रतिपूर्ति	18,82,641	11,34,974
अग्रदाय खाता	5,000	5,000	कर्मचारियों का सामूहिक बीमा	1,40,000	1,28,904
प्रेषक के पास डाक टिकटें	740	9,202	एल टी सी व्यय	61,265	19,965
चेक इन हैंड			छुट्टी नकदीकरण (एल टी सी)	2,96,615	15,597
			(ख) प्रशासनिक व्यय		
II. अनुदान			विज्ञापन व्यय	1,57,990	1,53,274
एमईए से अनुदान - सामान्य	8,36,65,000	8,58,82,727	लेखापरीक्षा शुल्क	1,04,650	1,09,300
एमईए से अनुदान - वेतन	1,66,00,000	1,56,00,000	अन्य व्यय	29,744	98,771
एमईए से अनुदान - परियोजना	1,03,57,967	2,17,54,640	प्रकाशन की लागत	13,08,370	15,49,861
			सीएससीएपी सामान्य व्यय	2,227	1,465
			विद्युत एवं जल प्रभार	52,55,471	50,49,076
III. आय			कार्यालय बीमा व्यय	72,806	70,955
पुस्तकालय सदस्यता	79,600	1,01,300	बैठक एवं सेमिनार व्यय	77,28,645	85,77,191
विविध आय	3,94,998	70,013	एनडीएमसी गृह कर	33,87,610	27,61,309
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	5,54,284	9,71,928	कार्यालय व्यय	8,95,474	8,94,036
बचत खाते से अर्जित आय	1,70,848	21,44,797	टिकट एवं टेलीग्राम	45,652	86,473
स्थायी जमा से आय	9,61,860		व्यावसायिक प्रभार	2,71,16,871	2,44,60,959
			प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	6,49,819	6,75,020
IV. अन्य प्राप्तियां			मरम्मत एवं रख-रखाव	42,71,998	35,53,365
प्रतिभूत जमा- पुस्तकालय	32,000	36,400	सुरक्षा व्यय	19,74,162	16,05,158
कर्मचारियों से त्यौहार अग्रिम की वसूली	22,950	23,143	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	7,66,214	8,53,500
वसूल किया गया अन्य अग्रिम	2,10,357	1,35,828	यात्रा एवं वाहन	30,41,625	28,77,626
रद्द चेक	20,267	3,000	समाचार पत्र, पुस्तक एवं पत्र पत्रिका	2,75,228	2,87,944
			ग्राहक शुल्क एवं सदस्यता व्यय	5,19,948	8,88,937
			वेबसाइट व्यय	9,440	–
कुल अग्रनीत	15,30,68,642	14,92,38,166	कुल अग्रनीत	7,60,27,349	7,02,32,738

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखापाल	सहायक निदेशक वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल अग्रनीत	15,30,68,642	14,92,38,166	कुल अग्रनीत	7,60,27,349	7,02,32,738
			II. अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान		
			कंप्यूटर / उपसाधन	8,70,781	13,25,734
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	9,59,386	4,95,725
			पुस्तकालय की किताबें एवं पत्र-पत्रिकाएं	63,88,111	44,58,091
			इलेक्ट्रानिक इंस्टालेशन	1,17,008	67,640
			पुस्तकालय की आइ टी अवसंरचना	7,32,456	6,99,943
			कार्यालय उपस्कर	42,34,858	12,58,020
			पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति	1,31,320	5,24,142
			नलकूप जलापूर्ति	44,781	-
			III. प्रतिभूति निक्षेप/ऋणों का प्रतिदाय		
			प्रतिभूति जमा वापसी-पुस्तकालय	-	11,200
			IV. अन्य भगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
			के.लो.नि.वि. को भुगतान	1,21,14,523	30,00,000
			परियोजनाओं का उपयोग	99,79,958	89,33,890
			अप्रयुक्त परियोजना अनुदान की अदायगी	-	1,34,90,083
			अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान	53,15,325	38,65,618
			अन्य अग्रिम	5,61,592	8,41,491
			रद्द चेकों के विरुद्ध भुगतान	-	35,340
			(क) नकद रोकड़		
			(ख) बैंक में जमा राशि		
			i) भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता	2,52,50,162	2,26,620
			ii) भारतीय स्टेट बैंक में जमा खाता	92,20,586	2,70,00,000
			iii) भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता	11,02,708	1,27,66,151
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000	5,000
			प्रेषक के पास डाक टिकटें	12,738	740
कुल	15,30,68,642	14,92,38,166	कुल	15,30,68,642	14,92,38,166

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25/05/2018

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखापाल	सहायक निदेशक वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि एवं देनदारियां			
संग्रह/पूंजी निधि	1	2,17,11,306	1,94,41,558
निर्धारित/अक्षय निधि	2	18,769	-
आस्थगित आय	3	13,87,20,771	12,77,90,770
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	4	6,79,46,993	7,82,38,126
कुल		**22,83,97,839**	**22,54,70,454**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	5	13,96,15,940	12,87,34,453
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	8,87,81,899	9,67,36,001
कुल		**22,83,97,839**	**22,54,70,454**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	14		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25/05/2018

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखापाल	**सहायक निदेशक, वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4, 4 बी देखिए)		8,69,80,409	8,26,18,980
सदस्यता फीस	7	89,788	85,240
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	8	5,54,284	10,97,198
अर्जित ब्याज	9	12,79,192	24,86,181
अन्य आय	10	1,47,62,680	1,42,96,569
कुल (क)		10,36,66,353	10,05,84,168
व्यय			
स्थापना व्यय	11	1,91,57,744	1,83,64,958
अन्य प्रशासनिक व्यय	12	6,20,96,970	5,78,48,543
अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान पर व्यय		44,10,325	47,64,618
प्रकाशनों की लागत		13,15,370	16,40,861
मूल्य ह्रास (देखिए अनुसूची 5)		1,44,16,196	1,38,94,168
कुल (B)		10,13,96,605	9,65,13,148
शेष अधिक होने के कारण/(कमी) (क-ख)		22,69,748	40,71,020
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	14		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25/05/2018

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखापाल	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2018 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 1- संग्रह/पूंजी निधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		1,94,41,558		1,53,70,538
जोड़ें : संग्रह/पूंजी निधि में अंशदान	–		–	
जोड़िए: आय और व्यय लेखे से अंतरित शुद्ध/व्यय का अतिशेष	22,69,748		40,71,020	
		22,69,748		40,71,020
वर्ष के अंत में अतिशेष		2,17,11,306		1,94,41,558

अनुसूची 2- निर्धारित/अक्षय निधियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) निधियों का प्रारंभिक अतिशेष	(3,59,240)	3,10,093
ख) निधियों में परिवर्धन::		
दान/चंदा/वापसी/स्थानांतरण	1,03,57,967	2,17,54,640
निधियों के मद्देनजर किए गए निवेशों से आय	–	–
ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपभोग/व्यय		
i. पूंजी व्य य		
- अचल परिसंपत्तियां	–	–
- अन्य	–	–
ii. राजस्व व्यय		
- वेतन, मजदूरियां और भत्ते आदि	–	–
- किराया		–
- अन्य - यात्रा एवं अन्य व्यय	99,79,958	89,33,890
iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय / अंतर्लेखे का समायोजन	–	1,34,90,083
वर्ष के अंत में शुद्ध अतिशेष (क+ख+ग)	18,769	(3,59,240)
अनुसूची 6-ख में स्थानांतरित नामे शेष (निवल)	18,769	(3,59,240)
	–	–

अनुसूची 3- आस्थगित आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक अतिशेष	12,77,90,770	13,04,89,270
जोड़िए: अवक्षयीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (निवल)	2,52,97,683	1,11,47,625
घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षयण के बराबर रकम		
जो आय और व्यय लेखे में अंतरित कर दी गई है।	1,43,67,682	1,38,46,125
कुल	13,87,20,771	12,77,90,770

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखापाल	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2018 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 4- वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देनदारियां				
1) विविध लेनदार		13,21,649		6,83,759
2) प्राप्त किया गया अग्रिम		41,188		51,376
3) सांविधिक देनदारियां				
क) अतिदेय	-		-	
ख) अन्य	6,05,854		3,64,262	
		6,05,854		3,64,262
4) अन्य चालू दायित्व				
क) प्रतिभूति जमा	5,67,940		5,35,940	
ख) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (4.4 (ख) अनुसूची संदर्भ देखें)	5,44,43,430		6,64,56,522	
ग) देय वेतन एवं भत्ते घ) देय वेतन एवं भत्ते	10,53,166		9,28,898	
घ) अन्य देनदारियां	6,61,684		6,17,509	
		5,67,26,220		6,85,38,869
कुल (क)		5,86,94,911		6,96,38,266
ख. प्रावधान				
उपदान के लिए प्रावधान		92,52,082		85,99,860
कुल (ख)		92,52,082		85,99,860
कुल (क+ख)		6,79,46,993		7,82,38,126

अनुसूची 4.4 (ख) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अतिशेष	6,64,56,522	5,87,40,400
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (सामान्य एवं वेतन)	10,02,65,000	10,14,82,727
	16,67,21,522	16,02,23,127
घटाइए: केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का आय और व्यय लेखे में अंतरण	8,69,80,409	8,26,18,980
	7,97,41,113	7,76,04,147
घटाइए: अवक्षयणीय नियत परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित (आस्थगित आय का अंतरण)	2,52,97,683	1,11,47,625
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	5,44,43,430	6,64,56,522
कुल	5,44,43,430	6,64,56,522

हस्ता/- लेखापाल   हस्ता/- सहायक निदेशक, वित्त   हस्ता/- उप महानिदेशक   हस्ता/- महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2018 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 - अचल परिसंपत्ति

(राशि रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
निजी निधि से बाहर अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियां										
1. भवन	28,65,530	-	-	28,65,530	19,38,391	46,357	-	19,84,748	8,80,782	9,27,139
2.फर्नीचर, फिक्सचर	1,88,400	-	-	1,88,400	1,78,355	1,507	-	1,79,862	8,538	10,045
3.पुस्तकालय पुस्तिकाएं एव पत्रिकाएं	38,967	-	-	38,967	32,468	650	-	33,118	5,849	6,499
उप - जोड़(क)	30,92,897	-	-	30,92,897	21,49,214	48,514	-	21,97,728	8,95,169	9,43,683
केंद्र सरकार के अनुदान से बाहर अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियां										
1. भवन	6,41,32,886	10,93,311	-	6,52,26,197	1,25,60,847	26,05,935	-	1,51,66,782	5,00,59,415	5,15,72,039
2. फर्नीचर, फिक्चर	4,36,94,999	9,61,880	-	4,46,56,879	2,38,49,636	30,65,650	-	2,69,15,286	1,77,41,593	1,98,45,363
3. कार्यालय उपस्कर	1,75,26,184	70,74,724	-	2,46,00,908	82,94,263	19,38,453	-	1,02,32,716	1,43,68,192	92,31,921
4. कंप्यूटर/उपसाधन	1,46,24,749	9,43,784	-	1,55,68,533	1,11,81,127	10,03,925	-	1,21,85,052	33,83,481	34,43,622
5. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	3,70,96,588	45,20,657	-	4,16,17,245	1,44,75,766	25,29,857	-	1,70,05,623	2,46,11,622	2,26,20,822
6. पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	1,38,93,928	7,32,456	-	1,46,26,384	1,14,47,691	7,03,117	-	1,21,50,808	24,75,576	24,46,237
7. विद्युत इंस्टालेशन	3,18,02,784	1,17,800	-	3,19,20,584	1,53,35,880	24,81,766	-	1,78,17,646	1,41,02,938	1,64,66,904
8. साइकिल एवं रिक्शा	7,000	-	-	7,000	4,558	366	-	4,924	2,076	2,442
9. जल आपूर्ति प्रणाली	10,12,815	44,781	-	10,57,596	2,62,948	38,613	-	3,01,561	7,56,035	7,49,867
उप - जोड़ (ख)	22,37,91,933	1,54,89,393	-	23,92,81,326	9,74,12,716	1,43,67,682	-	11,17,80,398	12,75,00,928	12,63,79,217
चालू वर्ष का जोड़ (क+ख)	22,68,84,830	1,54,89,393	-	24,23,74,223	9,95,61,930	1,44,16,196	-	11,39,78,126	12,83,96,097	12,73,22,900
पिछला वर्ष	20,91,97,423	1,87,06,299	10,18,892	22,68,84,830	8,66,65,010	1,38,94,168	9,97,248	9,95,61,930	12,73,22,900	12,25,32,413
जारी पूंजीगत कार्य									1,12,19,843	14,11,553
कुल									13,96,15,940	12,87,34,453

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाकार	**सहायक निदेशक, वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2018 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 6 -चालू परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसंपत्तियां:				
1 फुटकर देनदार		-		-
2 कुल शेष राशि (चेक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय शामिल)		17,738		5,740
3 बैंक शेष				
अनुसूची बैंक साथ				
- चालू खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	2,52,50,162		2,26,620	
- जमा खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	92,20,586		2,70,00,000	
- बचत खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	11,02,708		1,27,66,151	
		3,55,73,456		3,99,92,771
जोड़ (क)		3,55,91,194		3,99,98,511
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1 अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य नकद धनराशि अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य				
क) पूंजीगत लेखे पर- सीपीडब्ल्यूडी		4,57,58,950		5,18,39,046
ख) पूर्व-भुगतान		39,64,327		21,11,038
ग) आयकर (टीडीएस) वसूली योग्य		1,23,960		1,23,960
घ) निर्धारित निधि लेखे पर		-		3,59,240
ड) अन्य		28,55,600		19,62,822
2 उपार्जित आय				
क) जमा लेखे पर		4,87,868		3,41,384
जोड़ (ख)		5,31,90,705		5,67,37,490
जोड़ (क + ख)		8,87,81,899		9,67,36,001

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखापाल	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2018 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में.)

अनुसूची 7 सदस्यता फीस	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पुस्तकालय सदस्यता	89,788	85,240
कुल	89,788	85,240

अनुसूची 8 रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
रॉयल्टी	5,54,284	10,97,198
कुल	5,54,284	10,97,198

अनुसूची - 9 अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) निर्धारित बैंक के साथ जमा शर्तों पर (भारतीय स्टेट बैंक)	11,08,344	3,41,384
2) निर्धारित बैंक के साथ बचत खाते पर (भारतीय स्टेट बैंक)	1,70,848	21,44,797
कुल	12,79,192	24,86,181

अनुसूची 10 अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) आस्थगित आय से अंतरित (देखिए अनुसूची 3)	1,43,67,682	1,38,46,125
ख) लिखित देनदारी-छूट (प्रत्याभूत जमा- आडिटोरियम)	-	3,74,775
ग) विविध आय	3,94,998	75,669
कुल	1,47,62,680	1,42,96,569

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखापाल	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2018 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11 - स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरियां	1,51,89,902	1,36,70,916
ख) बोनस	1,58,884	-
ग) कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि का अंशदान	11,24,496	11,37,257
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	14,510	21,377
ड.) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार - आर.पी.एफ.सी.	43,361	16,922
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत लाभों (उपदान) पर किया जाने वाला व्यय	9,29,662	21,97,009
छ) चिकित्सा व्यय (निवल वसूली)	15,82,764	12,14,415
ज) कर्मचारी समूह बीमा	1,14,165	1,07,062
TOTAL	1,91,57,744	1,83,64,958

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 12 - अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) लेखापरीक्षा शुल्क	1,04,650	1,09,300
ख) सीएससीएपी - सामान्य व्यय	2,227	1,465
ग) विज्ञापन खर्च	1,94,776	1,53,274
घ) विद्युत एवं जल	51,75,881	52,00,454
ड.) सेमीनार/कार्यशाला पर व्यय	92,00,346	93,24,937
च) कार्यालय बीमा	70,955	70,642
छ) एनडीएमसी संपत्ति कर	33,87,610	27,61,309
ज) कार्यालय व्यय	11,02,463	8,82,218
झ) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	8,06,605	9,37,746
ञ) मुद्रण और लेखन सामग्री	6,40,348	6,73,866
ट) वृत्तिक एवं अन्य मानव शक्ति प्रभार	2,72,46,598	2,42,57,808
ठ) रख-रखाव एवं मरम्मत	82,32,976	77,62,699
ड) सुरक्षा व्यय	21,81,205	14,91,070
ढ) यात्रा एवं वाहन व्यय	28,72,310	29,43,538
ण) अन्य व्यय	1,27,157	98,771
त) समाचारपत्र, पुस्तक और पत्रिकाएं	3,45,399	2,64,993
थ) ग्राहकी एवं सदस्यता शुल्क	3,96,024	8,87,153
द) वेबसाइट व्यय	9,440	-
ध) पूर्व अवधि व्यय	-	27,300
कुल	6,20,96,970	5,78,48,543

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखापाल	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 13 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **लेखाकरण अभिसमय**

जब तक कि अन्यथा कथित न हो, लेखाओं की ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और साधारणतया लेखाकार की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किया गया है सिवाय सीएससीएपी अनुदान और उपयोग के संबंध में जोकि नकद आधार पर उपयोग किया जाता है।

2. **अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास**

2.1 अचल परिसंपत्तियों का निर्धारण अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत अर्जन के संबंध में अनुषंगी और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं।

2.2 नियत आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर, उसमें से एकत्रित अवक्षयण को घटाकर किया गया है। नियत आस्तियों पर अवक्षयण, प्रबंधन द्वारा विनिश्चित किए गए, अनुसार समुचित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है:

भवन	5%
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएं	10%
फर्नीचर और फिक्स्चर	15%
कार्यालय उपस्कर	15%
कम्प्यूटर/उपसाधन	25%
विद्युत अधिष्ठापन	15%
साइकिलें	15%
जल आपूर्ति प्रणाली	5%

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के 1 अक्तूबर को या उसके पश्चात क्रय की गई आस्तियों का उपरोक्त कथित दरों से 50% का अवक्षयण कर लिया गया है।

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**सहायक निदेशक, वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

3. राजस्व मान्यता

3.1 विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों/अभिदायों को प्रारंभ में दायित्व के रूप में माना गया है और उन्हें वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।

3.2 अवक्षयी आस्तियों के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे प्रणालीबद्ध तथा सुसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

3.3 साधारणतया, राजस्व व्यय के लिए उपयोजित अनुदानों को वर्ष के दौरान आय माना गया है।

4. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

लेन देन की तिथि को जारी विदेशी मुद्रा में वर्णित लेनदेन की गणना विदेश मंत्रालय के विनिमय की अधिकृत दर (ओआरई) पर की गई है।

5. सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता के अंशदान को ई पी एफ ओ को अंतरित किया जाता है।

उपदान के लिए प्रावधान की संगणना इस उपधारणा पर की जाती है कि उपदान सभी कर्मचारियों को लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर देय है। उपदान की ऐसी रकम को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 25/05/2018

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**सहायक निदेशक, वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 14 आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पण

1. **आकस्मिक देनदारियां :**

क. श्री एच.एस. चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक नामक कर्मचारी की सेवाएं प्रबंधन द्वारा 01 अप्रैल, 1995 से 26 सितंबर, 2001 के दौरान समाप्त कर दी गई थीं। उन्होंने सेवा समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया था और निचली अदालत ने आईसीडब्ल्यू को कर्मचारी को पिछली पूरी अवधि का पारिश्रमिक देने का निदेश देते हुए आदेश पारित किया। आई सी डब्ल्यू द्वारा निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किए जाने के कारण 2.00 लाख रुपए की देनदारी का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आईसीडब्ल्यूए ने न्यायालय के पास 1,01,205/- रुपए जमा करा दिए हैं, जिन्हें तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

ख. आईसीडब्ल्यूए के विरुद्ध अन्य न्यायालयी मामलों के संबंध में देनदारियां, यदि कोई हैं - शून्य

2. **पूंजी प्रतिबद्धताएं:** अग्रिम निवल - शून्य

3. विश्व मामलों की भारतीय परिषद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विश्व कार्य संबंधी परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) जारी किया था, जिसके द्वारा परिषद के प्रबंधन को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस अध्यादेश को अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्या 29) के अधिनियम द्वारा और विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है।

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**सहायक निदेशक, वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

4. सीएससीएपी-भारत और विश्व में विविध सीएससीएपी की बैठक आयोजित करने के लिए परिषद विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त करती है। परिषद केवल अनुदान के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है अर्थात अनुदान को प्राप्त करना तथा उसका प्रत्येक अनुदान के लिए विशिष्ट मंजूरियों हेतु उसका उपयोग करना। परिषद का दृष्टिकोण है कि सीएससीएपी लेनदेन परिषद के अतिशेष / कमी से प्रभावित नहीं होगा और तदनुसार नकद आधारित लेखाविधि के लिए जिम्मेवार होगा।

5. जहां कहीं भी आवश्यक था, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध या पुन: व्यवस्थित किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो सके।

6. अंतिम लेखों में अंकों को निकटतम पूर्ण रुपयों में लिखा गया है।

7. अचल परिसंपत्ति में पूर्ण विवरण दिए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने से पहले पूर्व प्रबंधन द्वारा सुरक्षित रखी गई सभी अचल परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं अवस्थिति शामिल है, उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों और साथ ही भौतिक सत्यापन संबंधी किसी रिपोर्ट की अनुपस्थिति में, वर्तमान प्रबंधन नियत आस्तियों के संबंध में लेखा बहियों में किन्हीं विसंगतियों, यदि कोई हों, के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकता था।

8. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्तमान प्रबंधन के पास लीज रेंट की कोई देनदारी नहीं है। यदि भूमि की लागत भवन की लागत (व्यक्तिगत निधि) का एक भाग है तो भवन पर प्रभारित मूल्यह्रास सामान्यतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के विपरीत होगा।

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 25/05/2018

****

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित वार्षिक लेखा 2017-18 का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**सहायक निदेशक, वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंतिम पृथक रिपोर्ट प्रारूप

हमने 31 मार्च, 2018 के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 जिसे विश्व मामलों की भारतीय परिषद (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 20 (2) पढ़ा जाता है, की है। इन वित्तीय विवरणों की जवाबदेही विश्व मामलों की भारतीय परिषद की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय ब्यौरों पर विचारों की अभिव्यक्ति करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सिर्फ लेखा उपचार पर वर्गीकरण, बेहतर लेखा अभ्यास की संपुष्टि, लेखा मानक एवं प्रकटन मानक आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा दक्षता सह प्रदर्शन पहलू आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण यदि कोई हो, तो उसे निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।

3. भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है। इन मानकों को अपेक्षा होती कि हम जो लेखापरीक्षा करते हैं उनके वित्तीय विवरण में मटीरियल संबंधी मिथ्या विवरण न होने के संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त हों। लेखापरीक्षा में जांच आधार पर परीक्षण, वित्तीय विवरण में राशियों एवं प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांत का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा वित्तीय विवरणों के सभी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत को समुचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. जहां तक हमें पता है और विश्वास है हमने लेखापरीक्षा के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर ली हैं;

ii. इस रिपोर्ट के साथ पेश किए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के प्रारूप को लेखा, महानियंत्रक, विदेश मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।

iii. पुस्तक का परीक्षण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम, 2003 की धारा 20 (1) की आवश्यकतानुसार लेखा की समुचित पुस्तकें एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा तैयार की गई हैं।

iv. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

क.1 परिसंपत्ति

परिषद ने जुलाई 2017 में 0.27 लाख रुपए मूल्य के 12 डेस्कटॉप, 4 लैपटाप, 2 मॉनिटर, 18 यूपीएस, 13 प्रिंटर, 14 पेनड्राइव, 20 माउस, 6 कीबोर्ड तथा अन्य मिश्रित वस्तुओं की नीलामी की। वर्ष 2017-18 के तुलन पत्र की लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि अचल संपत्तियों की कटौती शून्य थी तथा वर्ष के आरंभ में निवल ब्लाक मूल्य पर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया था। इस प्रकार कुछ हद तक मूल्यह्रास की ओवर-चार्जिंग के साथ-साथ परिसंपत्ति की ओवरस्टेटमेंट थी । इन परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य तथा ह्रासित मूल्य का पता लगाया जा सकता है तथा इसे समुचित रूप से तुलन पत्र में प्रतिबिंबित किया जा सकता है।

ख. आय एवं व्यय

ख.1 व्यय

परिषद ने वर्ष 2017-18 के दौरान कॉन्फ्रेंस एवं सेमिनार के लिए 1050 रुपए की दर से 6 रेड वाइन की खरीद की गई, हालांकि लेखे में अदत्त शराब व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप आय एवं व्यय खाते में 0.06 लाख रुपए के खर्च पर और तुलन पत्र में देनदारियों/प्रावधानों पर परदा डाल दिया गया है।

ग. सामान्य

ग.1 परिषद ने पूर्वधारणा के तहत कि वर्ष के अंत में सभी कर्मचारियों को उपदान का भुगतान किया जाना है, 92.52 लाख रुपए की राशि का उपदान के रूप में प्रावधान किया है। परिषद ने एएस-15 में निर्धारित बीमांकिक मूल्यन के आधार पर प्रावधान नहीं किया है।

ग. सहायता अनुदान

ग.1. विश्व मामलों की भारतीय परिषद को मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता अनुदान मिलता है। वर्ष 2017-18 के दौरान परिषद के पास 664.56 लाख रुपए पूर्व वर्ष की अपव्ययित अथशेष राशि थी तथा परिषद को गैर योजना के तहत 1002.65 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ, जो कुल मिलाकर 1667.21 लाख रुपए हुआ। इस राशि में से 1122.78 लाख रुपए परिषद की गतिविधियों पर खर्च हुआ तथा 544.43 लाख शेष राशि है। इसके अतिरिक्त परिषद ने अपने विभिन्न निजी स्रोतों से 166.86 लाख रुपए प्राप्त किए।

ड. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उनके निदान/सुधार हेतु प्रबंधन के माध्यम से अलग से एक पत्र जारी कर परिषद के संज्ञान में लाया गया है।

v) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में की गई अपनी टिप्पणी के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र एवं आय तथा व्यय लेखे की लेखा बही से सहमति है।

vi) मेरी राय में तथा हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण को लेखा नीतियों एवं एकाउंट नोट के साथ पढ़ लिया गया है, बशर्ते इस लेखापरीक्षा के अनुबंध-1 में उल्लिखित ऊपर उद्धृत महत्वपूर्ण विषय एवं अन्य विषयवस्तु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की समनुरूपता का सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों।

क. जहां तक कि 31 मार्च, 2018 तक की विश्व मामलों की भारतीय परिषद के राज्य मामलों के तुलन पत्र का संबंध है, और

ख. जहां तक कि 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एवं की ओर से

हस्ता./-
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(केन्द्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.10.2018

अनुबंध-I

विश्व मामलों की भारतीय परिषद की वर्ष 2017-18 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली :

प्रधान, मुख्य नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि के लिए परिषद की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। वर्ष 2017-18 अवधि की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

2. आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की प्रचुरता :

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि

- ड्यूटी की कोई पृथकता नहीं थी, बिल बनाने एवं नकद वितरण का कार्य एक ही कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था और कोई जॉब रोटेशन भी नहीं थी।
- अग्रिमों की वसूली नहीं हुई थी।

2017-18 अवधि की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

3. अचल आस्त्यिों की भौतिक सत्यापन प्रणाली :

अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	आस्ति पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	कार्यालय उपकरण, फर्नीचर एवं फिक्सचर, भवन, इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन, साइकल एवं रिक्शा तथा जल आपूर्ति प्रणाली (केवल अनुदान से)	19.06.2018

क्र.सं.	आस्ति पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
2.	पुस्तकालय की किताबें एवं पत्रिकाएं	11.12.2012
3.	कंप्यूटर/पेरिफेरल्स, पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	19.06.2018

परिषद ने सभी परिसंपत्तियों का एक समेकित कंप्यूटरीकृत अचल संपत्ति रजिस्टर तथा फर्नीचर एवं फिक्सचर, इलेक्ट्रानिक इंस्टालेशन के लिए एक अलग रजिस्टर बना रखा है। हालांकि, जीएफआर में किए गए प्रावधानों के अनुसार अचल संपत्तियों के समेकित कंप्यूटरीकृत रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया किया गया है।

4. वस्तु सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	स्टॉक/सूची पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	सफाई सामग्री एवं अनुरक्षण/अनुभाग उपभोज्य	18.06.2018
2.	आई टी उपभोज्य एवं अन्य संबंधित सामग्री	18.06.2018
3.	लेखन सामग्री	18.06.2018

- जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किसी भी समय स्टॉक की कीमत का मूल्यांकन करने के लिए रजिस्टर में की गई स्टॉक/स्टॉर के प्रत्येक मद की यूनिट कीमत की प्रविष्टि का उल्लेख करना आवश्यक है। लिक्वर रजिस्टर की जांच से पता चला है कि अधिकांश मामलों में रजिस्टर में यूनिट कीमत का उल्लेख नहीं किया गया है।

5. सांविधिक देनदारियों के भुगतान में नियमितता

31.03.2018 तक कोई सांविधिक देनदारियां नहीं हैं।

हस्ता./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ईए)

****

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।